REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2019

कन्या भ्रूण हत्या : एक अभिशाप

बृजेश कुमार यादव
शोध छात्र , काशी हिन्दू विश्वविद्यालय , वाराणसी.

सारांशिका

कन्या भ्रूण हत्या भी एक जघन्य अपराध है, इस अपराध के पिछे का मूल कारण इच्छित सत्तान की प्राप्ती है। इसे अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक अविश्कार सहयोगी बने है। परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशू का लिंग परिक्षण करना और अनचाही संतान से छुटकारा पाना सहज हो गया है। जनसंख्या नियन्त्रण को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने जब से भ्रूण हत्या को कानूनी वैद्यता प्रदान की है, तब से भ्रूण हत्याओं का क्रुर व्यापार निर्बाध गति से बढ़ रहा है। भगवान महाबीर, बुद्ध एवं गाँधी जैसे प्रेरकों के इस अहिंसा प्रधान देश में हिंसा का नया रूप भारतीय संस्कृति का उपहास है। भारत में करीब ढ़ाई दशक पूर्व भ्रूण परिक्षण पद्धति की शुरूवात हुई, जिसे एमिनो सिथेंसिस नाम दिया गया। एमिनो सिंथेसिस का उद्देश्य है, गर्भस्थ शिशू के क्रोमोसोम्स के सन्दर्भ में जानकारी हासिल करना यदि उसमें किसी तरह की विकृति हो, जिससे शिशु की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति विगड़ सकती हो तो उसका उपचार करना। लेकिन करीब पिछले 10–15 वर्षों से एमिनो सिथेंसिस राहभटक गया है। आज अधिकांश माता–पिता गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की चिन्ता छोड़कर भ्रूण परिक्षण केन्द्रों में यह पता लगाते है कि वह लड़का है अथवा लड़की अगर लड़की हुई तो उस भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। भ्रूण हत्या के कारण समाज में लड़का और लड़की के संख्या में अन्तर है।

मूल शब्द– कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या रोकने में संवैधानिक प्रयास, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकारी योजनाएँ .

प्रस्तावना–

प्रकृति की हर वस्तु एवं प्राणी में स्वाभाविक सन्तुलन देखा जाता है, किन्तु मानव ने प्रकृति के दोहन की आदत के फलस्वरूप अपने स्वार्थ के लिए इस सन्तुलन को बिगाड़ने का कार्य किया हैं। इसने न केवल औद्योगिक विकास के लिए पर्यावारण को दोहन कर प्राकृतिक सन्तुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्रियों के साथ अन्याय कर स्त्रि–पुरूष के लिंगानुपात को भी घटाने का अमानवीय कार्य भी किया है। स्त्रि–पुरूष लिंगानुपात में पिछले कुछ दशको में आयी भारी गिरावट का मुख्य कान्य–भ्रूण हत्या है यह समस्या विश्व के सबसे बड़े सामाजिक बुराईयों में से एक है। यह अपराध बहुत ही छोटी मानसीकता वाले लोग करते है। जो लड़को को लड़कियों से विभिन्न प्रकार के तर्कहीन कारणो से पसन्द करते हैं।

कानूनी प्रतिबन्धों के बावजूद कन्या भ्रूण हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी हैं। हाल ही में पुणे से ऐसी खबरें आई हैं कि वहा गॉव कस्बो तक में चीन में बनी पोर्टेबल अल्ट्रा साऊण्ड मशिनो के जरिये क्लीनिक और नर्सींग होम चला रह लोग घड़ल्ले से गर्भ में मौजूद भ्रूण के लिंग की जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद भ्रूण यदी लड़की हुए तो यह बताने की जरूरत नहीं की उसके साथ क्या होगा। पुणे जैसी घटनाओं से वह बात

दिमाग में घुमती हैं। क्या गर्भस्थ भ्रूण को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल सकता हैं। ताकि उसकी लोगों पर हत्या के जुर्म की धाराएँ लग सके।

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों पर नजर दौड़ायें तो पता चलता है। कि इससे सम्बन्धित एक कानून–मेडिकल टर्मिनेशनल ऑफ प्रिगनेंसी एक्ट के तहत 20 हफ्ते से ज्यादा गर्भ को गिराने यानी टर्मिनेट करने की इजाजत नहीं हैं। इसकी इजाजत तभी दि जा सकती है, जब चिकीत्सकीय वजह से मॉ व बच्चे के जीवन को खतरा हो अदालत ने यह टिप्पणी हाल में एक महिला की याचिका के सन्दर्भ में दी थी। जिसने 27 हफ्ते के भ्रूण असामान्य शारीरिक समस्या के आधार पर टर्मिनेट कराने की इजाजत माँगी गई थी।

भ्रूण हत्या तो एक बड़ी समस्या है ही परन्तु लिंगानुपात में कमी के पिछे मुख्य कारण लिंग पहचान कर भ्रूण हत्या है। ऐसा अनुमान लगाया गया है। कि प्रत्येक छटी कन्या को जन्म से पहले मार दिया जाता हैं। एक गैर सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रति वर्ष एक करोड़ कन्यायें जन्म लेती हैं। जिसमें से 20 लाख को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। यानि 20 लाख कन्या भ्रूण प्रतिवर्ष नष्ट कर दिया जाता है। परन्तु इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किये जाते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारत में 1901 में 1000 पुरूषों पर 972 महिलाएँ थी जो 1991 में घटकर 927 हो गई। यद्धपि 2001 में बढ़कर 1000 पुरूषों पर 933 महिला तथा 2011 तक 940 महिला हो गई। अगर राज्यों के आधार पर देखे तो भारत के सम्पन्न राज्य, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में यह अनुपात बहुत कम है। यहॉ प्रति हजार 900 से भी कम लड़कियाँ हैं।

भारत में 1979 में अल्ट्रासाउण्ड की तकनीकी की प्रगति आयी हॉलाकी इसका फैलाव बहुत धिमे था। लेकिन सन् 2000 तक यह व्यापक रूप से फैलने लगा इसका आकलन किया गया हैं। कि 1990 से 10 मिलियन से ज्यादा भ्रुण अब तक नष्ट किये जा चुके हैं।

अध्ययन का उद्देश्य–

प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके उद्देश्य की आवश्यकता होती हैं। अर्थात् कार्य के पिछे एक उद्देश्य अवश्य होता हैं। इस शोध कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए संवैधानिक प्रयास का अध्ययन करना।
2. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकारी योजनाओं तथा नीतियों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना–

1. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए संवैधानिक प्रयास किये गये हैं।
2. सरकारी योजनाओं द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने का सफल प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन की विधि एवं तथा संकलन–

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का स्वरूप विवरणात्मक है और शोध पत्र की विश्वसनीयता पूर्णतयः द्वितीयक सामाग्री (किताब, पत्रिका, समाचार–पत्र, इन्टर नेट इत्यादि) से प्राप्त दत्त (डाटा) के विश्लेषण पर आधारित हैं।

परिणाम–

प्रस्तुत शोध पत्र ''कन्या भ्रूण हत्या एक अभिषाप'' है तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने लिए किये गये संवैधानिक प्रयास, सरकारी योजनाओं तथा नीतियों से सम्बन्धित साहित्य समाचार पत्र–पत्रिका, इन्टरनेट इत्यादि का अध्ययन किया गया है। जिसके निम्नलिखित परिणाम प्रस्तुत हुए है।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किये गये संवैधानिक प्रयास–

भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत प्रावधान : भारतीय दंड संहिता की धारा 312 कहता हैं : जो कोई भी जान बुझकर किसी महिला का गर्भपात करता हैं जबकि गर्भावस्था का जारी रहना महिला के जीवन के लिये

खतरनाक नहीं हैं तो ऐसा करने वाले को सात साल की सजा दी जायेगी। महिला के सहमती के बिना गर्भपात (धारा 313) और गर्भपात के कोशिस के कारण महिला कि मृत्यु (धारा 314) इसे एक दंडनीय अपराध बनाता हैं। धारा 315 के अनुसार माँ के जीवन कि रक्षा के प्रयास को छोड़कर अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले ऐसा काम करता हैं। जिससे जीवित बच्चे के जन्म को रोका जा सके या पैदा के बाद मृत्यु हो जाय तो उसे 10 साल की सजा होगी। धारा 312 से 318 गर्भपात के अपराध पर सरलता से विचार करती हैं। जिसमें गर्भपात करना बच्चे को जन्म को रोकना, अजन्मे बच्चे की हत्या करना (धारा 316) नवजात शिशु को त्याग देना (धारा 317), बच्चे के मृत शरीर को छुपाना या इसे चुपचाप नष्ट करना (धारा 318)। हालांकि भ्रूण हत्या शिशु हत्या जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी ये धाराएं दोनों अपराधों को समाहीत करती हैं।

1964 में स्वास्थ मन्त्रालय ने एक समीति का गठन किया। शांती लाल शाह के नाम गठित इस समीति को महिलाओं द्वारा कि जा रही गर्भपात की कानूनी वैधता की मांग के मद्देनजर महिला के प्रजनन अधिकार के मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार करने का काम सौंपा गया। 1971 में संसद में गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम, 1971 एम0टी0पी0 एक्ट पाटित हुआ जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ है और इसे उक्त अधिनियम के दुरूपयोग की सम्भावनाओं को खत्म करने के उद्देश्य से गर्भ की चिकित्सकिय समाप्ति संशोधन अधिनियम (2002 का न0 164) के द्वारा 1975 और 2002 संशोधित किया गया। मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रिग्नेंसी (एम0टी0पी0) एक्ट के अनुसार यदि गर्भस्थ शिशु के बारे में यह पता चल जाय कि वह असमान्य है और परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग के बावजूद गर्भ गया हो तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराना गैर कानूनी नहीं बसर्ते ये सारी प्रक्रियाएँ 20 सप्ताह के भितर पुरी हो जाये। सरकार ने 1994 में एक और पहल करते हुए लिंग परिक्षण हेतु अल्ट्रासांउड पर पुरी तरह रोक लगा दी है। जनवरी 1996 से लागू द प्रिनेटल डायगनोस्टिक टेक्नीक्स (पी0एन0डी0टी0) एक्ट एंड रूल्स – 1994 के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबन्धित करने की पहल की गई है। नई तकनीकों के विकास और इसके क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए 2003 में इसे संशोधित कर और प्रभावी बनाया गया। इस कानून के तहत गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान हेतु जाँच करना और इसे प्रचारित करना कानूनन अपराध है। इस कानून का प्रथम बार उल्लंखन करने वाले डाक्टर अथवा व्यक्ति को 50 हजार रू0 तक के आर्थिक दण्ड क साथ–साथ तीन वर्ष करावास की सजा दि जा सकती हैं इसी तरह दुसरी बार उलघंन करने पर एक लाख का दण्ड और पाँच साल तक की सजा दी जा सकती हैं।

किसी भी गर्भपात से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ की पूर्व सलाह लेना आवश्यक है और भ्रूण 12 हफ्ते से अधिक तथा 20 हफ्तो से कम दिनों का है। तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। (धारा 2 (क) और (ख))। गर्भ गिराने में लिए निश्चित प्रपत्र पर महिला की लिखित सहमति लेना आवश्यक है। महिला की सहमति स्वतन्त्र होनी चाहिए और उक्त दशाओं पर आधारित होनी चाहिए। पति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और मानसिक रूप से अस्थिर महिलाओं के सम्बन्ध में उनके अभिभावको की सहमति लेना आवश्यक है। यह (धारा 3) में हैं।

18 दिसम्बर 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन की वियना घोषणा (सीडॉ) को मंजूर किया। 19 जून 1993 को भारतीय सरकार ने इसी घोषणा को यथावत मंजूर कर लिया!

भारतीय सवीधान का अनुच्छेद 21 ''जीवन के अधिकार'' की घोषणा करता हैं। अनुच्छेद 51 ए (ई) महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं के त्याग की व्यवस्था भी करता है। उपरोक्त दोनो घोषणाओं के आलोक में भारतीय संसद ने लिंग तय करने वाली तकनीक के दुरूप्रयोग और इस्तेमाल से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जन्म पूर्व परिक्षण तकनीक (दुरूपयोग का नियम और बचाव) अधिनियम 1994 पारित किया हैं।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किये गये सरकारी योजनाओं तथा नीतियों द्वारा प्रयास–

कन्या भ्रूण हत्या के लिए सरकारों में अनेक योजनाएं चलाई तथा नीतियों का निर्माण किया हम सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को दो भागों में विभाजित करेंगे। जो क्रमशः निम्नलिखित है।

1. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाए–

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएँ–

देश मे लिंग अनुपात में समानता लाने के लिए तथा बेटियों कि सुरक्षा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की हरियाणा के पानीपत जीले में लागू करने की घोषड़ा की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास के एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित एवं अभिसारित प्रयासों के अन्तर्गत बालिकाओं को संरक्षण एवं सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरूआत की गयी।

सुकन्या समृद्धि योजना–

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत सुकन्या समृद्धि योजना सबसे मुख्य घटक है। जिससे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक तथा और बालिकाओं को फाईनेन्शियल मदत मिलेगी। इस योजना के तहत 10 वर्ष तक के आयु की सभी भारतीय नागरीकता प्राप्त बालिकाएँ देश के किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर योजना का लाभ उठा सकती हैं। यह खाता 1000 रू0 से खुलेगा जो खाते में जमा हो जायेगा। इस खाते में प्रत्येक महीने 1000 रू0 तथा साल में 15000 रू0 से अधिक जमा नहीं हो सकता है। इस खाते से 50 प्रतिशत धनराशि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर निकाली जा सकती हैं।

घनलक्ष्मी योजना–

कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की घनलक्ष्मी योजना 2008 में ब्लॉंच की गई। इस योजना के अन्तर्गत बालिका का जन्म, पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष के आयु के बाद ही विवाह किये जाने पर एक लाख रूपये की बिमा राशि दिये जाने का प्रावधान हैं। इस योजना को पायलट प्रोजक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के वस्तर जिले के जंगदलपुर विकास खण्ड और विजापुर जिले के पाल पट्टनम विकास खण्ड में स्वीकृत किया गया।

बालिका संरक्षण योजना –

8 मार्च 2005 को महिला विकास एवं बाल कल्याण और विकलांग कल्याण द्वारा बालिका संरक्षण योजना को शुरू किया गया। बालिका संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करना। और महिला उत्पीड़न के खिलाफ ही महिलाओं में जागरूकता फैलाना है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण करना हैं और यह योजना गर्भवती महिला के अधिकारों की सुरक्षा में मदत करती हैं। और बालिका को सामाजिक और वित्तीय मदत प्रदान करती हैं।

राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) –

केन्द्रिय महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा सबला योजना की सुरूवात 1 अप्रैल 2011 को भारत के 200 जिले में चयनित 11 से 18 वर्ष की किशोरियों की देखभाल सामेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11–15 और 15 से 18 दो समूहों में विभाजित किया गया हैं। पहला समूह 11 से 15 वर्ष तक के किशोरियों को पोषण युक्त पका हुआ खाना दिया जाता हैं। दुसरा समूह 15–18 वर्ष तक के किशोरियों को गैर पोषण आयरन की गोलिया सहीत अन्य दवाईया मिलती हैं।

हम यह भी कहना चाहेगें कि कुछ अन्य प्रकार की सरकारी योजनाएँ जैसे– ''इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, स्वधार योजना इत्यादि'' जो केन्द्र सरकार की तरफ से संचलित की जाती हैं। जिससे प्रत्यक्ष रूप से कन्या भ्रूण हत्या में कमी लायी जा सके और महिलाओं का सशक्तिकृत किया जा सके।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाएँ–

भाग्य श्री योजना –

बालिकाओं को प्रोत्साहन तथा कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को 8 मार्च 2015 को लाँच किया गया। इस स्कीम को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को लक्ष्य बनाया गया है। यह योजना हर गरीब परिवार में जन्मी बालिका के खाते में 21200 रू जमा करवाती है। बालिका के 18 वर्ष पुरे करने पर उसे 1 लाख रू0 दिये जाते है।

लाडली लक्ष्मी योजना–

यह योजना मध्य प्रदेश में 1 जून 2015 को लागू की गई थी। यह योजना उस पर लागू होती है। जो बालिका 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी हो जिसके अन्तर्गत समय–समय पर ई–पेमेन्ट के द्वारा भुगतान किया जाता है। इसमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 2 हजार, नौवीं में 4 बजार और 11वीं और 12 वीं के दौरान 200 रू0 प्रतिमाह दिये जाते हैं। बालिका के 21 वर्ष होने पर और कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष राशी का भुगतान किया जाता है। बसर्ते बेटी का ब्याह 18 वर्ष के बाद हुआ हो।

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना

यह राजस्थान में बेटी जन्म को प्रोत्साहित करने एवं मातृ मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से लागू कि गई। इस योजना के अर्न्तगत शासकीय चिकित्सालयों में बालिका के जन्म होने पर प्रसुता को 2100 रू0 का चेक दिया जाता है और बेटी के जन्म को एक साल पूरे होने पर टीके लगवाने पर 2100 रू0 का चेक फिर दिया जाता है। पाँच वर्ष पुरा होने पर माँ को 3100 रू0 का चेक। कुल मिलाकर बेटी की माँ को 7 हजार 300 रू0 की राशी प्रदान की जाती है।

लाडली बेटी योजना

यह योजना जम्बू कश्मीर सरकार ने अप्रैल 2015 को लाँच किया। इसमें सरकार बालिका के जन्म पर 1000 रू0 प्रतिमाह जमा करवाएगी। यह राशि 14 वर्ष तक बालिका के खाते में जमा कराई जाती रहेगी। बालिका के 21 वर्ष होने पर उसे 6.50 लाख रू0 एक मुस्त दिये जायेगें हालाँकी इस योजना का लाभ वही उठा सकेंगे जिनकी सालाना आय 75000 रू0 से कम है।

कन्या विवाह योजना

यह योजा कमोबेश हर राज्य में संचालित की जा रही है। हालाँकी अलग–अलग राज्यों में इस योजना के अर्न्तगत प्रदान की जाने वाली राशी अलग–अलग है। यह योजना भी कन्या भ्रूण हत्या रोकने का एक साकारात्मक प्रयास है।

बेटी है अनमोल और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

हिमाचल सरकार ने कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की है बेटी है अनमोल योजना के अर्न्तत सरकार बी0पी0एल0 परिवार में बालिका के जन्म पर 10000 रू0 की राशी बैंक खाते में जमा करवाती है। इन बालिकाओं के पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा तक 300 रू0 से 1200 रू0 तक की स्कालरशिप दि जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अनाथ अथवा जो बालिकाओं के शारीरिक रूप से अक्षम है उसकी शादी के लिए 25000 रू0 की मद्द किया जाता है।

गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम

बालिकाओं के सही विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश में चल रही इस बालिका योजना में अलग–अलग नीयम एवं शर्तो को पुरा करने वालों को 30000 से 1 लाख रू0 तक की एक मुश्त राशी दी जाती है। यह योजना अनाथ एवं अक्षम बच्चीयों के लिए भी उपयोगी है।

मुखबिर योजना

यू0पी0 सरकार ने 24 जून 2017 को कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना कि शुरूवात की। इस योजना के तहत भ्रूण लिंग की पहचान बताने वाले नंर्सिग होम व अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरो पर शिंकजा कसा जायेगा। इसके बारे में सूचना देने वाले व इन्हें पकड़वाने वाले को सरकार 2 लाख रू0 का पुरस्कार देगी।

भाग्य लक्ष्मी योजना

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके अंर्तगत गरीब परिवार में नवजात कन्या के जन्म होने पर कन्या को नाम से उसकी माँ को 50 हजार रू0 का बांड मिलेगा और साथ ही 51 सौ रू0 बेटी की माँ की मिलेंगे जो उसके खाते में जमा कराये जायेगें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को कम करना तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त देश के प्रत्येक राज्यों में कोई न कोई योजना कन्याभ्रूण हत्या को कम करने तथा बेटी के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए चलते रहते है।

निष्कर्ष

भारत में लिंगानुपात में कमी बहुआयामी समस्या का परिणाम हैं इस लिए हमें कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए कई दिशाओं में प्रयास करना होगा। उन कारणों को भी दुर करने का प्रयास करना होगा जिनके करण लोग कन्या जन्म से डरते है। हमारे देश मे कन्या भूण हत्या को रोकने के लिए अनेक कठोर से कठोर कानून बने है। उनमें सजा के साथ–साथ जुर्माने का भी प्रावधान है संवैधानिक प्रयास के साथ–साथ देश के केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारो ने अनेक योजनाओं तथ नीतियों का निर्माण किया है। फिर भी लिंगानुपात में भारी अन्तर देखने को मिलता है। इन सब का प्रमुख कारण हमारी सोच है हमें इस बात को समझना, समझाना और महसूस करना होगा कि यह एक ऐसी समस्या है जिसकी बजह से हम खुद है और इसका निदान हमसे ही सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र, समीरात्मजः निबन्ध मंजूषा (द्वितीय संसकरण), न्यू दिल्ली।
2. अमर उजाला, समाचार पत्र, 7 अप्रैल, 2017।
3. अमर उजाला, समाचार पत्र, 21 जून, 2017।
4. www.chauthiduniya.com/2010/12/kayna-bhrun-hatya-ek-badi-samashya.html
5. hindigrammar.in/Female%20Foeticide.html
6. www.hindikiduniya.com/essay/female-foeticide-essay-in-hindi/
7. hi.vikaspedia.in/e-governance/online-legal-services/92e93992494d93592a94293094d923-90592793f92893f92f92e/92e93993f93293e913902-938947-91c941940-90592793f92893f92f92e/91592894d92f93e-92d94d930942923-93992494d92f93e-938947-91c941947-93e928942928940-92a94d93093e93592793e928
8. https://tathyabaan.wordpress.com/tag/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82/page/5/
9. seekhe.com/yojana/□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□□/
10. http://www.governmentschemesindia.in/tag/government-of-indiagovernment-of-india
11. https://www.google.com/amp/s/m.jagranjosh.com/general-knowledge/amp/government-schemes-for-women-schemes-for-women-empowerment-1482143835-2#ampshare=https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/government-schemes-for-women-schemes-for-women-empowerment-1482143835-2
12. https://hindi.goodreturns.in/classroom/2017/04/which-state-giving-what-their-daughters-how-many-schemes-th/articlecontent-pf4195-001432.html

13. https://m.patrika.com/dus-ka-dum/10-government-schemes-for-girl-1002258/?slide=6
14. https://m.patrika.com/dus-ka-dum/10-government-schemes-for-girl-1002258/?slide=7
15. https://m.patrika.com/dus-ka-dum/10-government-schemes-for-girl-1002258/?slide=8
16. https://m.patrika.com/dus-ka-dum/10-government-schemes-for-girl-1002258/?slide=9
17. https://www.google.com/amp/s/www.amarujala.com/amp/lucknow/yogi-adityanath-launches-mukhbir-yojna#ampshare=https://www.amarujala.com/lucknow/yogi-adityanath-launches-mukhbir-yojna
18. https://hindi.pradhanmantriyojana.in/uttar-pradesh-bhagya-laxmi-yojana-2017-in-hindi/

बृजेश कुमार यादव
शोध छात्र , काशी हिन्दू विश्वविद्यालय , वाराणसी.

LBP PUBLICATION